

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 के नियम 129)

आदेश पत्रक ता० से तक
केस का प्रकार TA Misc. Case No. 94/2020-21

कस का प्रकार TA Misc. Case No. 94/2020-21		आदेश पर की गई कार्यवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ												
आदेश पत्रक संख्या क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर													
10.11.2020	आवेदक/आवेदिका प्रियंका बोदरा, पिता-स्व० काडु बोदरा, जाति-हो (अ.ज.जा.), ग्राम-टिकरचाम्पी, पो०+थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। मौजा-टिकरचाम्पी, थाना नं०-75, खाता नं०-40, खेसरा नं०-237, रकवा-0.06 ए० भूमि क्रेता केदार नाथ कायम, पिता-सिकुर नाथ कायम, जाति-हो (अ.ज.जा.), ग्राम-बाईपी, पो०+थाना-चक्रधरपुर, जिला-प० सिंहभूम के पास जमीन बक्री/भू-हस्तांतरण हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत अनुमति हेतु आवेदन समर्पित किया है जमीन का विवरण है:- <table><tr><th>मौजा</th><th>थाना सं०</th><th>थाना</th><th>खाता सं०</th><th>खेसरा सं०</th><th>रकवा एकड़ में</th></tr><tr><td>टिकरचाम्पी</td><td>75</td><td>-</td><td>40</td><td>237</td><td>0.06 ए०</td></tr></table> आवेदक शारीरिक कष्ट के कारण मेडिकल ईलाज हेतु आवेदित भूमि का कुल रकवा 0.06 ए० को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत बिक्री करना चाहते हैं। आम सूचना निर्गत करें और अंचल अधिकारी चक्रधरपुर से अपना जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट मंतव्य सहित दिनांक 23.11.2020 तक मांग करें। अभिलेख दिनांक 24.11.2020 को उपस्थापित करें।	मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा एकड़ में	टिकरचाम्पी	75	-	40	237	0.06 ए०	
मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा एकड़ में									
टिकरचाम्पी	75	-	40	237	0.06 ए०									
	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।													

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

हल्का कर्मचारी का जॉच प्रतिवेदन
(T.A. Mise Case No. 94/2020-21.....(u/s CNT Act)

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
चक्रधरपुर।

विषय:- धारा 46 सी०एन०टी० एक्ट के अन्तर्गत जमीन से संबंधित जॉच प्रतिवेदन के संबंध में।

विक्रेता प्रियंका बौदरा पिता- स्व. काहु बौदरा, ग्राम- टिकरचाम्पी
थाना चक्रधरपुर, जिला- प. सिंहभूम जाति हो ने निम्नलिखित भूमि को क्रेता कैदार नाथ कायम
पिता/पति सिकुर नाथ कायम ग्राम बाहुपी थाना चक्रधरपुर जिला प. सिंहभूम जाति हो
के साथ भूमि की अनुमति हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा/प्लॉट नं०	रकबा (एकड़ में)
टिकरचाम्पी	75	40	237	0.06 ख.

19. टी०ए० मिस वाद संख्या- 94/2020-21

20. विक्रेता का नाम एवं पूरा पता- प्रियंका बौदरा, पिता- स्व. काहु बौदरा, ग्राम- टिकरचाम्पी, चक्रधरपुर

21. क्रेता का नाम एवं पूरा पता- कैदार नाथ कायम, पिता- सिकुर नाथ कायम, ग्राम- बाहुपी, चक्रधरपुर

22. बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण ग्राम, थाना नं०, खाता नं०, प्लॉट नं०, रकबा के साथ-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा (एकड़ में)	भूमि उपयोग (कृषि/आवासीय/औद्योगिक/ व्यापारिक भूमि)
टिकरचाम्पी	75	40	237	0.06 ख.	आवासीय

23. प्रस्तावित जमीन का खतियानी रैयत का नाम- पौन्डे हो, सैलाथ हो, पिता- बड़ा लामड़ा हो

24. खतियानी रैयत के साथ आवेदक का संबंध- पौती

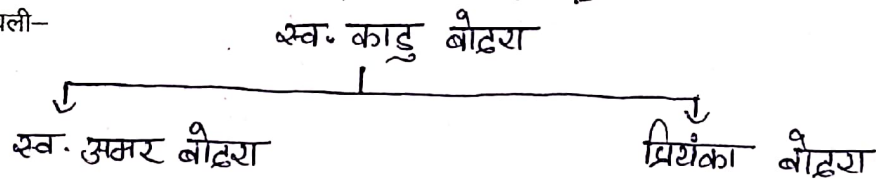
25. पंजी-॥ रैयत का नाम एवं रैयत के पास कुल जमीन- काहु बौदरा, पिता- स्व. सैलाथ बौदरा (जा.मु.स. -

26. पंजी-॥ रैयत के साथ आवेदक का संबंध- पुत्री

27. आवेदक के हिस्से में कुल कितना जमीन है- 1.13 ख.

28. जमीन बिक्री करने में आवेदन के हिस्सेदारों को कोई आपत्ति है या नहीं-

29. विक्रेता का वंशावली-



30. जमीन का मालगुजारी कब तक दिया गया है-

31. जमीन बिक्री करने के बाद आवेदक के पास कितने जमीन बचता है- 1.07 ख. (एक एकड़ सात डी.)

32. जमीन का विक्रय मूल्य-

33. विक्रेता एवं क्रेता किस जाति का सदस्य है एवं किस थाना के निवासी हैं- होनों- हो, चक्रधरपुर

34. प्रस्तावित जमीन का कोई विवाद चल रहा है या नहीं- नहीं

35. प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ खास, आम, भू-हदबंदी, कैसर हिन्द एवं मंदिर-मरिजद के दायरे में है या नहीं- नहीं

36. राजस्व कर्मचारी का मंतव्य- मं.अ.

आवेदित भूमि मौजा- टिकरचाम्पी, थाना नं०- 75, के रकबा- 0.06 ख. विक्रेता पंजी II रैयत काहु बौदरा की पुत्री है। क्रेता कैदार नाथ कायम होनों हो जाति के सदस्य है, होनों चक्रधरपुर थाना के निवासी है। आवेदित भूमि बिक्री के पश्चात् आवेदित के पास 1.07 ख. भूमि अवशेष बचता है।

लगातार ->

अतः लॉच प्रतिवेदन शुभान्त को उचित कार्यवाही हेतु अग्रसरित।

10/4/2021
DI

10/04/2021
me.

अंचल अधिकारी
चक्रधरपुर